

बिहार सरकार

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

सं०- 5/निदे०-महा० वि०-56-03/2015-

84

03.11.17

शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 67 दिनांक- 11.10.2017 एवं आवंटनादेश संख्या- 71 दिनांक 13.10.2017 के कंडिका-4 में उल्लेखित " बिहार महादलित विकास मिशन के पत्रांक-989 दिनांक-21.08.2017" के स्थान पर " बिहार महादलित विकास मिशन के पत्रांक-959 दिनांक-21.08.2017" पढा जाय। शेष कंडिका यथावत् रहेगा। इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

निदेशक।

ज्ञापांक- 5/निदे०-महा० वि०-56-03/2015- 84

पटना, दिनांक: 08.11.17

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु०)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/आई० टी० मैनेजर/प्रशाखा पदा०-4(निदे०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।